रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112022-240599
CG-DL-E-26112022-240599

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 759] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्रहायण 4, 1944
No. 759] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 850(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 745(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनसे उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना से अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 29 सितम्बर, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रुप से विचार कर लिया गया है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (बीसवाँ संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 115क के उप-नियम (9) में, सारणी 1 के "से लागू" शीर्षक में, "1 अक्तूबर, 2022" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 जनवरी, 2023" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आरटी-11028/22/2016-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 844(अ), तारीख 22 नवम्बर, 2022 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2022

G.S.R 850(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, vide notification number G.S.R. 745(E), dated the 29th September, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th September, 2022;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twentieth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in sub-rule (9) of rule 115A, in table 1, in the heading "Applicable with effect from", for the words and figures, "1st October, 2022" the words and figures "1st January, 2023" shall be substituted.

[F. No. RT-11028/22/2016-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 844(E), dated the 22nd November, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA